(ग) कच्चे माल की उपलब्धता में रुकावट और उसके ऊंचे मूल्यों के कारण वनस्पति के मूल्य ऊंचे हुए हैं ।

(घ) देश के विभिन्न केन्द्रों में खुले बाजार में वनस्पति के 15 कि. ग्राम के एक टिन का औसत खुदरा मूल्य लगभग 500/- रुपये से 550/- रुपये था। आगामी त्यौहार के मौसम के दौरान वनस्पति के बढ़ते हुए मूल्यों को रोकने के लिए सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं :—

(1) हाल के महीनों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा आयातित तेल की आपूर्ति बढ़ा दी गई है ।

(2) थोक विक्रेताओं/खुदरा विक्रेताओं तथा खाद्य तेल और वनस्पति के विनिर्माताओं के पास स्टाक सीमा में कमी की गई है ।

(3) भारतीय रिजर्व बैंक के आदेशानुसार बैंक अग्रिमों के लिए न्यूनतम अन्तर में वृद्धि ।

(4) जमाखोरी विरोधी अभियान चलाने और आवश्यक वस्तुओं की मूल्य रेखा समान रखने के लिए केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों से लगातार संपर्क बनाए हुए है।

(5) वनस्पति के विनिर्माण में लघु और अपराम्परागत तेलों के प्रयोग पर उत्पाद शुल्क में छूट की अनुमति दी गई है ।

चीनी की उत्पादन लागत का विश्लेषण

3714. **श्री राम जेठमलानी** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 22 अगस्त, 1990 के "टाइम्स आफ इंडिया" में "सुगर लाइकली टू फ्लेयर अप डेस्पाइट रिलीज" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और यदि हां, तो क्या यह सच है कि चीनी उत्पादक उत्पादन लागत के बढ़ जाने के कारण चीनी के मूल्यों में कमी करने के लिए तैयार नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने चीनी की उत्पादन लागत का ब्यौरेवार विश्लेषण किया है; और

(ग) क्या गन्ना, इंधन, मशीनरी, श्रम, प्रबन्ध, सरकारी करों तथा खर्च की अन्य मदों पर आयी लागत को उत्पादन लागत में शामिल किया गया है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम पूजन पटेल) : (क) सरकार का ध्यान इस समाचार की ओर दिलाया गया है । सरकार खुले बाजार में मुक्त बिक्री की चीनी की उचित कीमत पर पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए समुचित उपाय करती रहेगी ।

(ख) और (ग) चीनी फैक्ट्रियों से चीनी उत्पादन का 45 प्रतिशत हिस्सा देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से उपभोक्ताओं को समान खुदरा कीमतों पर वितरण के लिए ले लिया जाता है । इस प्रकार प्राप्त चीनी की क्षेत्रीय एक्स-फैक्ट्री कीमतें, केन्द्र सरकार द्वारा घोषित गन्ने की न्यूनतम कीमत और औद्योगिक लागत एवं मूल्य ब्यूरो (बी. आई. सी. पी.) द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर निकाली गई परिवर्तन लागत को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की जाती है। परिवर्तन लागतों को सिफारिश करते समय बी. आई. सी. पी. मजदूरी, उर्जा, इंधन, खर्च की अन्य मदों आदि के रूप में परिवर्तन लागत से संबद्ध खर्च को ध्यान में रखती है । लेवी चीनी की क्षेत्रीय एक्स-फैक्ट्री कीमतों के परिकलन के लिए राज्य सरकारों द्वारा गन्ने पर लगाए गए करों को भी ध्यान में रखा जाता है ।